न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./89/2022/बाड़मेर

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./96/2022/बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
हीराराम पुत्र श्री अमराराम का.मु. 1. विशनाराम पुत्र श्री हीराराम 2. मूलाराम पुत्र श्री हीराराम 3. गेनाराम पुत्र श्री हीराराम 4. बाबूराम पुत्र श्री हीराराम का.मु. 4/1धन्नाराम पुत्र श्री बाबूराम 4/2नरेश कुमार पुत्र श्री बाबूराम 4/3श्रीमती कानूदेवी धर्मत्नी श्री बाबूराम कौम जाट निवासी चन्दोणियों की ढाणी(बान्दरा) तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर	1. नारणाराम पुत्र श्री अमराराम 2. भींयाराम पुत्र श्री कानाराम 3. पेमाराम पुत्र श्री कानाराम 4. भंवराराम उर्फ भंवरलाल चौधरी पुत्र श्री कानाराम 5. भूराराम पुत्र श्री कानाराम का. मु. 5/1गोरधनराम पुत्र श्री भूराराम 5/2हेमाराम पुत्र श्री भूराराम 5/3ताजाराम पुत्र श्री भूराराम 5/4नरेशकुमार पुत्र श्री भूराराम 5/5लिखमाराम पुत्र श्री भूराराम 6. अणदाराम पुत्र श्री कानाराम कायम मुकाम 6/1गंगाराम पुत्र श्री अणदाराम 6/2नरेशकुमार पुत्र श्री अणदाराम 6/3धर्मेन्द्रकुमार पुत्र श्री अणदाराम कौम जाट निवासी चन्दोणियों की ढाणी (बान्दरा) तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर 7. श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 129/2002 बअनवान नारणा बनाम हीरा वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 22.10.2008 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2009 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री भंवरलाल चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.01.2023

हस्तगत प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की उक्त दोनों ही अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा जा रहा है तथा निर्णय की प्रति दोनों अपील पत्रावलीयों पर अलग—अलग रखी जा रही है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण 01 द्वारा एक वाद अपीलांटस 01 ता 04 के वालिद हीराराम एवं उत्तरदातागण 02 ता 07 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का अंतर्गत धारा 88, 53 राज. काश्त. अधि. के तहत इस आशय का पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण 01 ता 06 एक ही परिवार के सदस्य है, एवं उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की जमीन तहसील बाड़मेर पटवार मण्डल बान्दरा मौजा चन्दोणियों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 398 रकबा 113.07 बीघा, खसरा संख्या 525 रकबा 37.01 बीघा कुल रकबा 150.08 बीघा का आया हुआ है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण 01 हीराराम का 1/4 तथा प्रतिवादीगण 2 ता 06 का 1/2 हिस्सा बनता है। उसी अनुसार कब्जा काश्त है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 सगे भाई है वक्त सेटलमेंट दोनों भाई साथ ही रहते थे, वादी छोटा था व मवेशी चराने का काम करता था वक्त सेटलमेंट वादी का उपरोक्त खेतों में 1/4 हिस्सा दर्ज होने से रह गया व पूरा खेत 1/2 हिस्से की भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत वाद प्रतिवादीगण में प्रतिवादीगण 2, 5, 6 के साथ कथित हस्ताक्षर करवाकर प्रतिवादीगण 01 हीराराम का (अपीलांटगण के वालिद) का जबावदावा प्रस्तुत होना दिनांक 09.09.2002 की आदेशिका में अंकित किया एवं आगामी पेशी दिनांक 29.01.2003 को प्रतिवादीगण 3 व 4 का इकबाली जबावदावा आया अंकित कर पत्रावली विवाद विरचित किये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ही साक्ष्य वादी मुकर्रर कर दी, व मात्र वादी की साक्ष्य लिया जाकर वाद बहस हेतु मुकर्रर कर दी व दिनांक 22.10.2008 को निर्णय व आरम्भिक डिक्री एकतरफा व अपीलांटगणों के हितों के विरूद्ध पारित कर दी गई। दिनांक 27.02.2009 को तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर पत्रावली के संलग्न हो चुका था के बावजूद विभाजन प्रस्ताव पर बिना प्रतिवादीगण 01 हीराराम का को सुने व बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये वृद्ध व्यक्ति के एकमात्र उपस्थित नहीं होने को हथियार प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर विभाजन प्राप्त होने के बाद भी धारा 53 के अनुतोष को विड्राल का प्रार्थना–पत्र लेकर उक्त अपूर्ण व विधि के विरूद्ध जाकर अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 11.09.2009 को पारित की गई। अपीलाधीन आराजी अपीलांटस की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। रेस्पोडेंटगण 01 नारणाराम का न तो विवादग्रस्त जमीन में कोई हक हिस्सा है एवं न ही उसका कोई कब्जा है एवं न ही यह संयुक्त खातेदारी की जमीन रही है, अपीलांटगण के वालिद हीराराम व कानाराम ने वक्त सेटलमेंट से पूर्व संवत 2004–2005 में खसरा संख्या 398 एवं खसरा संख्या 525 की कुल रकबा 150.08 बीघा जमीन खरीद की थी एवं उसी के आधार पर वक्त सेटलमेंट लगान पर्चा स्वयं ने लगान अदा कर जारी करवया उसी माफिक हीराराम व कानाराम का नाम खातेदारी में दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 01 हीराराम वर्तमान में फौत है, अपीलांटगण उनके विधिक वारिसान है व अपील पेश करने का विधिक अधिकार रखते है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि नारणाराम द्वारा एक बंटवाड़ा का वाद पेश किया गया था जिसे हमारी तरफ से जबाव दावा पेश करवाया गया था। उस जबावदावा पर हमारे दस्तखत बंटवाड़ा का कह कर करवाये थे हमने उस जवाबदावा को पढा भी नहीं था उतावल में आये थे व बंटवाड़ा करवाने का कहने पर हमारे द्वारा दस्तखत किये गये थे बाद में मालुम पड़ा कि बंटवाड़ा करवाया ही नहीं गया हैं व बाद में सुना था कि नारणाराम ने खेत में अपना नाम डलवा दिया हैं जबकि इस खेत में नारणाराम का कोई हक हिस्सा नहीं है। ग्राम बान्दरा वाला खेत भाईयों के अलग होने के बाद स्व. कानाराम जी ने लिया था जिसमें 1/2 हिस्सा अपने भाई हीराराम का रखा था शेष तीन भाई लुम्भाराम, चैनाराम व नारणाराम का इस खेत में कोई हक हिस्सा नहीं है नारणाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ने अगर नाम डलवाया है तो वह गलत डलवाया है बान्दरा वाले खेतों में हम उतरदाता संख्या 02 से 06 के साथ केवल अपीलांटगण का ही हिस्सा हैं। इनका ही 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है। अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 06 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पुश्तैनी खेत ग्राम बायतु भीमजी में आये हुए हैं। जिसमें अमरारामजी के पांचो लड़कों का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है जिनका आपसी बंटवाडा संवत 2001 में किया गया था उसी अनुसार आज भी मौके पर काबिज है। अतः अपीलांटगण की अपील सही पेश की हैं इसके हक मारे जा रहे है। अतः इनकी अपील स्वीकार करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी वास्ते अपील पेश करने की अनुमति का निर्णय सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद के विचारण व डिक्री के समय अपीलांटगण 01 से 04 के वालिद हीराराम पक्षकार रहे है व उतरदातागण 5/1 से 5/6 के वालिद भूराराम पक्षकार रहे जो फौत हो चुके है इसलिए हीराराम के स्थान पर अपीलांटगण 01 से 04 भूराराम के स्थान पर उतरदातागण 5/1 से 5/6 को पक्षकार बनाकर उक्त अपील पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी वास्ते अपील पेश करने की अनुमति पर अपीलांटस अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांटस हीराम के कायम मुकाम द्वारा हस्तगत अपील पेश की जा रही है तथा अन्य फौत पक्षकार भूराराम के कायम मुकाम को अपील में पक्षकार संयोजित किया गया है। न्यायहित में कायम मुकाम को अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात किया जाना न्यायोचित है लिहाजा आवेदन स्वीकार किया जाता है।

धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण 2 ता 6 ने मिलीभगत कर अपीलांटगण के वालिद हीराराम को अंधेरे में रख कर गुमराह कर धोखे से हस्ताक्षर करवाया, हम अपीलांटगण को बिना जानकारी करवाये कुटरचित ढंग से प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.10.2008 को जारी कर दी तथा न्यायालय को प्रभाव में लेकर अंतिम डिक्री जारी करवा दी, जिसका ज्ञान हम अपीलांटगण को अपील पेश करने से पूर्व कतई नहीं रहा। इस वर्ष बरसात होने पर अर्सा 20 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 व उनके पुत्रों ने अपने पैतृक व निवास बायतु भीमजी से आकर अपीलांटगण को जबरन बेदखल करने की धमकिया दी तथा कहा कि उक्त भूमि में हमने 1/4 हिस्सा भूमि हमारे खातेदारी में करवा दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है, अब तुम्हे बलपूर्वक हटाकर काश्त कर लेंगे। तब हमने बाड़मेर आकर पता किया एवं वकील मुकर्रर कर नकले मांगी दिनांक 14.07.2022 को प्राप्त हुई। व अन्य आवश्यक राजस्व नकलें प्राप्त कर ज्ञान के बाद वकील मुकर्रर कर उक्त अपील पेश किया जाना आवश्यक होने से सम्यक तत्परता से ज्ञान के अन्दर म्याद उक्त अपील पेश की जा रही है तथा वास्तविक जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने मे हुई देरी स्वभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस के वालिद हीराराम द्वारा पेश इकबालिया जबाव दावे के अनुसार पारित की गई। अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के दिनांक से ही जानकारी थी। हस्तगत अपीलों को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 13 वर्ष बाद पेश की गई, जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतः अपीलों को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चुंकि न्यायालय द्वारा मैरिट पर बहस सुनने के कारण मैरिट पर निर्णय पारित करना भी न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मातहत अदालत में अपीलांटस ने अपनी तरफ से इकबालिया जबाव दावा पेश कर वादी के वाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आपसी सहमति से इकबालिया जबाव दावे के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई। अपीलांटस ने अपने जीवनकाल में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध हाजा न्यायलय में अपील संख्या 19/2009 पेश की गई जो दिनांक 29.06.2009 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा अपनी उपस्थिति में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार **By metes & Bounds** तैयार किये गए तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 129/2002 बअनवान नारणा बनाम हीरा वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 22.10.2008 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2009 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर